

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-238/2025 दिनांक 26.08.2025)
***दिनांक-26.08.2025 को जनपद कुशीनगर पुलिस**
द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-*

चोरी/नकबजनी के घटना का सफल अनावरण, चोरी गये कुल करीब 1 लाख रुपये के आभूषण(दो जोड़ी पायल सफेद धातु, एक हाथ पलानी, दो अदद अंगुठी पीली धातु, एक अदद कान की बाली पीली धातु तथा नगद 16,250/- रुपये) बरामद तथा 03 शातिर चोर गिरफ्तार-

दिनांक 24.08.2025 की रात्रि में थाना पटहेरवा क्षेत्रान्तर्गत कस्बा फाजिलनगर मे स्थित खाद की दुकान से ताला तोडकर हुई चोरी/नकबजनी की घटना के सम्बन्ध मे वादी श्री अनिल सिंह निवासी नगर पंचायत फाजिलनगर द्वारा थाना पटहेरवा पर सूचना दी गई। उक्त सूचना पर घटना का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक कुशीनगर द्वारा थाना पटहेरवा पर मु0अ0सं0 221/2025 में अभियोग पंजीकृत कराते हुए घटना के शीघ्र अनावरण हेतु अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर व क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन किया गया था। जिसके क्रम में आज दिनांक 26.08.2025 को थाना पटहेरवा पुलिस टीम द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए तीन शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे/निशानदेही पर चोरी के कुल करीब 1 लाख रुपये के आभूषण(दो जोड़ी पायल सफेद धातु, एक हाथ पलानी, दो अदद अंगुठी पीली धातु, एक अदद कान की बाली पीली धातु तथा नगद 16,250/- रुपये) बरामदगी की गयी है। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उन्होंने थाना चौराखास क्षेत्र में दिनांक 2/3 मई 2025 की रात्रि में भी एक चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसके संबंध में थाना चौराखास में मुकदमा संख्या 72/2025 दर्ज है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जी रही है।

पंजीकृत/अनावरित अभियोग-

1-मु0अ0सं0 221/2025 धारा 331(4)/305/317(2)बीएनएस थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर

2-मु0अ0सं0 72/2025 धारा 331(4)/305(ए)/317(2)बीएनएस थाना चौराखास जनपद कुशीनगर



गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1- राजू मद्देशिया पुत्र मुनिदेव मद्देशिया साकिन वार्ड नं0 10 फाजिलनगर थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
- 2-किशन मद्देशिया पुत्र संतोष मद्देशिया साकिन वार्ड नं0 14 फाजिलनगर थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
- 3- राज सिंह पुत्र उदयनारायण सिंह साकिन वार्ड नं0 6 फाजिलनगर थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर

बरामदगी का विवरण –

- 1-मु0अ0सं0 221/2025 थाना पटहेरवा से सम्बन्धित (10750/- रुपया नगद)
- 2-मु0अ0सं0 72/2025 थाना चौराखास के मुकदमे का (5500/- रूपया नगद, दो जोड़ी पैर की पायल, एक हाथ पलानी सफेद धातु, दो अदद अंगुठी पीली धातु व एक अदद कान की बाली पीली धातु) कुल कीमत करीब 90,000/- रुपया

गिरफ्तार/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

- 1.थानाध्यक्ष श्री विनय कुमार मिश्रा थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर ।
- 2.उ0नि0 श्री मनोज कुमार वर्मा (चौकी प्रभारी फाजिलनगर) थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर ।
- 3.उ0नि0 श्री विशाल कुमार थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
- 4.उ0नि0 श्री नवीस अहमद थाना चौराखास जनपद कुशीनगर (मय हमराह)
- 5.का0 राघवेन्द्र मिश्रा थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
- 6.का0 दीपक राम थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
- 7.का0 मुलायम यादव थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
- 8.का0 संजय सिंह यादव थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर

थाना चौराखास पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.08.2025 को थाना चौराखास पुलिस द्वारा मु0नं0 464/2025 धारा 147 बी0एन0एस0एस0 थाना बरियारपुर जनपद देवरिया से सम्बन्धित अभियुक्त रविन्द्र पुत्र रामनरेश यादव निवासी कटेया मैनुद्दीन टोला नटवा थाना चौराखास जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



पंजीकृत अभियोग-

मु0नं0 464/2025 धारा 147 बी0एन0एस0एस0 थाना बरियारपुर
जनपद देवरिया

गिरफ्तार अभियुक्त-

रविन्द्र पुत्र रामनरेश यादव निवासी कटेया मैनुद्दीन टोला नटवा थाना
चौराखास जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री अजय कुमार पटेल थाना चौराखास जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 जितेन्द्रनाथ सिंह थाना चौराखास जनपद कुशीनगर
3. का0 आशुतोष कुमार थाना चौराखास जनपद कुशीनगर

थाना सेवरही पुलिस द्वारा 01 बाल अपचारी को लिया गया पुलिस अभिरक्षा में-

जनपद कुशीनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे
अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.08.2025 को थाना सेवरही पुलिस
द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 236/2025 धारा 137(2),
87, 65(1) बीएनएस व 3/4(2) पाक्सो एक्ट से सम्बंधित एक बाल
अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर नियमानुसार अग्रिम विधिक
कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 236/2025 धारा 236/2025 धारा 137(2), 87, 65(1)
बीएनएस व 3/4(2) पाक्सो एक्ट थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

अभिरक्षा में लिया गया बाल अपचारी- एक बाल अपचारी

निगरानी मे लेने वाले पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री धीरेन्द्र राय थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 राजेश यादव थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
3. हे0का0 सत्येन्द्रनाथ थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
4. का0 पंकज थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
5. का0 रंजीत चौहान थाना सेवरही जनपद कुशीनगर



थाना जटहांबाजार पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.08.2025 को थाना जटहांबाजार पुलिस द्वारा मु0नं0 15961/2020 धारा 3/5ए/8 गो0वध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 से सम्बन्धित अभियुक्त ताहिर पुत्र मजीद साकिन नन्दलाल छपरा थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0नं0 15961/2020 धारा 3/5ए/8 गो0वध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0

गिरफ्तार अभियुक्त-

ताहिर पुत्र मजीद साकिन नन्दलाल छपरा थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1-थानाध्यक्ष आलोक कुमार थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर
- 2-उ0नि0 प्रियांशु राय थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर
- 3-का0 राजू कुमार थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर

थाना तुर्कपट्टी पुलिस द्वारा पशु तस्कर गैंग के 02 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में जनपद कुशीनगर में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाये जाने व अपराध एवं अपराधियों तथा गोवंशीय पशुओं की तस्करी पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.08.2025 को गो-वंशीय पशुओं की तस्करी करने वाले गैंग से संबंधित अभियुक्तगण 01.मोहम्मद मुस्ताक पुत्र अन्सारुल हक पता सिराजपुर थाना मरौना जिला सुपौल बिहार (गिरोह का लीडर) 02. संतोष कुमार यादव पुत्र रामबालक यादव पता डार थाना भेजा जिला मधुबनी बिहार गैंग सदस्य के विरुद्ध थाना तुर्कपट्टी द्वारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी।

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त अभियुक्तगणों द्वारा अपने-अपने परिवार एवं सगे संबंधियों/ गैंग सदस्यों के लिए आर्थिक व भौतिक लाभ पहुंचाने के



उद्देश्य से गो-वंशीय पशुओं की तस्करी कर ले जाकर विक्री कर अधिक रूपसे अर्जित कर अपना जीवन यापन करते हैं। गैंग लीडर द्वारा अपने गैंग के सदस्यों के साथ दिनांक 25.03.2025 को एक अदद चार पहिया पीकअप संख्या BR 07 GC 2218 से 8 राशी गोवंशीय पशु (04 राशी गाय व 03 राशी बछवा, 01 राशी बछिया) क्रूरता पूर्वक बाध कर वध हेतु ले जाते समय अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद कर मु0अ0सं0 76/2025 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर बनाम 01.मोहम्मद मुस्ताक पुत्र अन्सारुल हक पता सिराजपुर थाना मरौना जिला सुपौल बिहार ने अपने सह अभियुक्त सदस्य संतोष कुमार यादव पुत्र रामबालक यादव पता डार थाना भेजा जिला मधुबनी बिहार पंजीकृत हो कर बाद विवेचना अन्तर्गतधारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट में बाद विवेचना आरोप पत्र मा0 न्या0 प्रेषित है।

यह गिरोह संगठित होकर अपने साथियों के लिए आर्थिक /भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश से गोवंशीय पशुओं की तस्करी करने का कार्य करता है एवं अवैध सम्पत्ति अर्जित करता है जिनके विरुद्ध थाना स्थानीय पर पर मु0अ0सं0 247/2025 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी।

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 25 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-39 वाहन
- 2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-54, व्यक्ति-162
- 3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(05)
- 4- जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-30)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर

